न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 48/2023

प्रार्थीगण

1. जेठाराम पुत्र केसराराम
2. प्रभू पुत्र केसराराम
3. राजुराम पुत्र गंगाराम
4. शान्ति पत्नी गंगाराम
5. प्रकाश पुत्र गंगाराम
   जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना
   तहसील धोरीमन्ना

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र भोमाराम
2. भंवरा पुत्र भोमाराम
3. डतमा पुत्र मदरूपा
4. गोरधन पुत्र भोजाराम
5. हंजू पत्नी गोरधन
6. ओमप्रकाश पुत्र आसुराम
7. कालुराम पुत्र आसुराम
8. डुंगरा पुत्र मदरूपा
9. भगाराम पुत्र किस्तुराराम
10. राणाराम पुत्र किस्तुराराम
11. केसरसिंह पुत्र सुजाराम
12. चिमाराम पुत्र जगराम
13. मंगलाराम पुत्र पन्नाराम
14. प्रतापा पुत्र लालाराम
    जातियान मेगवाल निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना
15. जसाराम पुत्र भीखाराम जाति राजपूरोहित निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना
16. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 05.04.2023

अधिवक्ता :– श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 21-2-24

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में [illegible] कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रा[illegible] के [illegible] काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर आपस में तनाजा [illegible] विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी [illegible] भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.02.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 15 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 13.12.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा खरड पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टे[illegible] बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम प्रार्थीग[illegible] नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है [illegible] दिनांक 21.02.20[illegible] को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 693/1 व 693/4 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास कि[illegible] गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम खरड़ पटवार मण्डल धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 171 के खसरा संख्या खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 693/1 रकबा 2.7033 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 693/4 रकबा 2.6305 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21-2-24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner